सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग
उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन

संख्या– [illegible] /VI-2/2012–71(6)2010

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः [illegible] फरवरी, 2012**

विषयः– अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत गुरू–शिष्य परम्परा के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेश–भूषा के कय हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1629/सं0नि0उ0/दो–3/2011–12 दिनांक 16 सितम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत गुरू–शिष्य परम्परा के अनतर्गत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेश–भूषा के कय हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रस्तावित कार्यशाला SCSP योजना के संचालन हेतु योजनान्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत या उससे अधिक शिष्य तथा गुरू अनुसूचित जाति के होने चाहिए।

(2) गुरूओं का चयन सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा सम्बन्धित जनपद में गठित समिति से विशिष्ठता/उत्कृष्ठता के आधार पर चयन हेतु संस्तुति के उपरान्त शासन की अनापत्ति/अनुमोदनोपरान्त निदेशक, संस्कृति द्वारा किया जायेगा।

(3) विद्या के अभिलेखीकरण का कार्य यथा सम्भव सम्बन्धित गुरूओं द्वारा किया जायेगा। जिसके लिये यथावश्यक व्ययभार का आंकलन कर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) योजना के अन्तर्गत विलुप्त हो रही कलाओं के लोक कलाकारों जिनकी विशिष्ट उपलब्धि रही हो, को गुरू बनाया जायेगा।

(5) गुरू द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में स्वयं शिष्यों का चुनाव कर उन्हें कम से कम प्रतिदिन 5 घण्टे विधिवत् सम्बन्धित कला की शिक्षा दी जायेगी।

(6) कार्यशाला निरीक्षण का कार्य स्थानीय विभागीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

......(2)

(7) कार्यशाला प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, मिलन केन्द्र आदि जो सम्बन्धित गुरू के ग्राम/स्थान से सम्बन्धित हो, में निःशुल्क उपलब्धता के आधार पर रखी जायेगी।

(8) योजनान्तर्गत कार्यशाला आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर लोक कला एवं गुरू का चयन किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा सम्बन्धित जनपद के जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त ही चयन किया जायेगा।

(9) गुरू के द्वारा समय-समय पर कार्यशाला संचालन आख्या/रिपोर्ट संस्कृति विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) कार्यशाला हेतु शिष्यों की संख्या 10 से 15 तक होनी आवश्यक है, तथा प्रथम चरण में प्रत्येक कार्यशाला की अवधि 6 माह निर्धारित की जायेगी।

(11) कार्यशाला हेतु सम्बन्धित गुरू की मांग के अनुरूप पारम्परिक वाद्ययंत्र एवं वेश-भूषा विभाग द्वारा नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) गुरू को ₹ 3,000/- संगतकर्ता को ₹ 2,000/- प्रतिमाह मानदेय/प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

(13) कार्यशाला का अभिलेखीकरण/ऑडियो/वीडियो डाक्यूमेंटेशन आदि कार्य भी किया जायेगा, ताकि विलुप्त हो रही पारम्परिक कलाओं/विधाओं को संरक्षित किया जा सके।

(14) वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-5) भाग-1 के अध्याय 16-क-अनुच्छेद 369 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि तभी प्रदान की जाये जब सम्बन्धित द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में शपथ-पत्र प्रदान किया जाये।

(15) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के उपयोग के उपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/लाभार्थीवार सूची एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) उक्त के लिए धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जायेगी कि इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं किया जायेगा। इसके लिए कार्यशाला के गुरू एवं संयोजक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।

...(3)

(17) योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के कयों के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(एन0एस0नेगी)
सचिव।

संख्याः- /VI(2)/2012-71(6)2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2- स्टाफ अफसर- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6- प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
7- मीडिया सेन्टर।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।